



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 375 राँची, सोमवार, 5 आषाढ़, 1945 (श०)
26 जून, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

31 मई, 2023

संख्या-5/आरोप-1-217/2014 (भाग-II)-21387 (HRMS)--श्री फिलबियूस बारला, झा०प्र०से०
(कोटि क्रमांक-703/03, गृह जिला- हजारीबाग), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा के विरुद्ध उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-1774/गो०, दिनांक 12.12.2009 एवं पत्रांक-215/गो०, दिनांक 24.02.2010 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसके आधार पर इनके विरुद्ध विभाग स्तर से प्रपत्र-‘क’ का पुनर्गठन किया गया, जिसमें श्री बारला के विरुद्ध कुल-15 आरोप प्रतिवेदित हैं ।

श्री बारला के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-3882, दिनांक 29.04.2014 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-521, दिनांक 30.12.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा इनके विरुद्ध प्रपत्र- ‘क’ में प्रतिवेदित 15 आरोपों में से आरोप सं०-1, 4, 8, 9, 10, 11 एवं 12 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है ।

श्री बारला के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव-बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से इनकी दो वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-8195, दिनांक 02.11.2018 द्वारा श्री बारला से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री बारला के पत्रांक-1/अ०, दिनांक 30.11.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। श्री बारला से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत, विभागीय संकल्प सं०-447(HRMS), दिनांक 05.02.2019 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया। उक्त दण्ड के विरुद्ध श्री बारला के पत्रांक-01, दिनांक 15.02.2019 द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-2701115, दिनांक 22.02.2019 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री बारला द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत उनके अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प सं०-1763(HRMS), दिनांक 15.04.2019 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि रोक के दण्ड को यथावत् रखा गया।

श्री बारला के विरुद्ध अधिरोपित उक्त दण्ड (संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड) एवं संकल्प सं०-1763(HRMS), दिनांक 15.04.2019, जिसके द्वारा उनका अपील आवेदन अस्वीकृत किया गया था, को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S)No 4757/2021 एवं I.A.No. 7626/2022 में दिनांक 15.03.2023 को पारित न्यायादेश में खारिज कर दिया गया है। मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 15.03.2023 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है-

"18. The initiation of the departmental proceeding seems to be on account of an enquiry conducted by the petitioner pursuant to the direction of the Member of Parliament-cum-Chairman, District Vigilance-cum-Monitoring Committee, Chatra in which certain financial irregularities were detected in the Public Distribution System and since it was stated in the report submitted by the petitioner that the matter is of serious nature in which there was involvement of the senior officers of the department in illegal gratification, the same should be enquired into by the CBI or the Vigilance Department. The fall out of such report of the petitioner led to initiation of a departmental proceeding and its consequences of being inflicted

with stoppage of two increments with cumulative effect. The enquiry report as has been stated above and at the cost of repetition would suggest that the same is bereft of any oral evidence and the entire enquiry is based on documentary evidence which is contrary to the law laid down by the Hon'ble Supreme Court in the case of State of Uttar Pradesh and others v. Saroj Kumar Sinha (supra) and Roop Singh Negi v. Punjab National Bank and others (supra). The act of the enquiry officer in conducting the enquiry in a manner which is contrary to the settled principles of law, has deprived the petitioner of a reasonable opportunity to defend himself with respect to contents of the documents which forms the basis of the enquiry report and the contents of which as noted above were not proved by the concerned officials. On account of the continuation of the departmental proceeding for almost a decade the petitioner has met with a deprivation of being denied promotions on three occasions though juniors to the petitioner have been granted promotion and one of the prayers made in this writ application is also with respect to the same.

19. Thus in view of what has been discussed above, the order of punishment as contained in Memo No. 5/Aarop-1-217/2014-447(HRMS)/Ranchi dated 05.02.2019 and the Resolution dated 15.04.2019 dismissing the appeal preferred by the petitioner, are quashed and set aside with a further direction to the respondents to pay all the consequential benefits on account of setting aside the impugned orders. So far as the prayer for promotion and other consequential benefits relating to such promotion are concerned, the petitioner is directed to submit a detailed representation before the respondent No. 2 within a period of two weeks and on submission of such representation, the respondent No. 2 shall pass a detailed and speaking order within a period of six weeks thereafter."

अतः माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा W.P.(S) NO.4757/2021 एवं I.A.No. 7626/2022 में दिनांक 15.03.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री फिलबियूस बारला, झांप्र०से०, तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा के विरुद्ध संकल्प सं०-447(HRMS), दिनांक 05.02.2019 द्वारा अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड एवं अपील आवेदन अस्वीकृति संबंधी संकल्प सं०-1763(HRMS) दिनांक 15.04.2019 को विलोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री फिलबियूस बारला, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PHILBIUS BARLA BHR/BAS/3245	श्री फिलबियूस बारला, झांप्र०से०, तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा के विरुद्ध संकल्प सं०-447(HRMS), दिनांक 05.02.2019 द्वारा अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड एवं अपील आवेदन अस्वीकृति संबंधी संकल्प सं०-1763(HRMS) दिनांक 15.04.2019 को विलोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
